विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–4 का उत्तर–

	प्रश्न	**उत्तर**
04.	(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में जनपद सिद्धार्थनगर में अब तक कुल कितने खाद्य पदार्थ के नमूने जाँच हेतु लिये गये तथा जाँच हेतु लिये गये नमूनों में से कितने नमूनें असुरक्षित (स्वास्थ्य के लिये) हानिकारक तत्वों का पाया जाना) पाये गये तथा असुरक्षित पाये गये नमूनों से सम्बन्धित कितने खाद्य प्रतिष्ठानों के लाईसेन्स निलम्बित अथवा निरस्त किये गये और उनमें से कितने खाद्य प्रतिष्ठानों को बन्द कराया गया?	वित्तीय वर्ष 2021–2022, 2022–23 एवं 2023–24 में जनपद सिद्धार्थनगर में कुल 645 नमूने संग्रहित किये गये। उक्त अवधि में विश्लेषण हेतु लिये गये नमूनों में से अब तक कुल 53 नमूने असुरक्षित पाये गये। असुरक्षित पाये गये प्रकरणों के सापेक्ष किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलम्बित/निरस्त नही कराया गया है, न ही किसी खाद्य प्रतिष्ठान को बन्द कराया गया है।
	(ख) क्या कुछ खाद्य प्रतिष्ठानों के नमूनें असुरक्षित पाये जाने के बाद भी उनके लाईसेन्स निलम्बित अथवा निरस्त न करते हुये उन्हें बन्द नही कराया गया?	जी हाँ।
	(ग) यदि हाँ, तो ऐसे स्वेच्छाचारी उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेंगी?	असुरक्षित पाये गये नमूनों के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत की जाती है। इसी क्रम में कार्यवाही हेतु आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के पत्र संख्या–एफ0एस0डी0ए0(मु0)/लाईसेन्स–पंजी/2012/5747, दिनांक 04.09.2012 एवं पत्र संख्या–एफ0एस0डी0ए0/खाद्य/2019/1949–50, दिनांक 11.04.2019 द्वारा दिशा–निर्देश भी निर्गत किये गये है, जिसके अनुसार सभी प्रकरणों में लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जाना आवश्यक नही है।
	(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।